इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]   भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. सी. 3-12-2012-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में उप नियम (2) के पश्चात्, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् : —

"लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ऐसे अन्य विभागों में भी, जहां ऐसा यांत्रिकी संवर्ग विद्यमान है, उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर तथा सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के आधार पर की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. सी. 3-12-2012-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, the 27th June 2015

No. C-3-12-2012-I-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (2) of rule 4, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the promotion from the post of Sub-Engineer to Assistant Engineer and Assistant Engineer to Exicutive Engineer in the of Public Works Department, Water Resources Department, Public Health Engineering Department, Panchayat and Rural Development Department and also in such other Departments where such Engineering cadre exits, shall be made on the basis of "merit-cum-siniority."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.